भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/136 दिनांक : 16/02/16

कार्यालय आदेश

विषयः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत संभाग स्तर पर सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने बाबत।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की संभाग एवं जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, की नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से की जाती है:–

कस	अधिकारी का नाम एवं पद	संभाग	मोबाइल नम्बर एवं ईमेल
1	डॉ प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक भरतपुर संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरतपुर संभाग	9414630955 jdbharatpur@gmail.com
2	डॉ यदुराज सिंह, उप निदेशक जयपुर संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर संभाग	9672300456 jdjaipur@yahoo.co.in
3	डॉ वंदना चौधरी, उप निदेशक अजमेर संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर संभाग	9929766894 vndnchoudhary.2021@gmail.com
4	डॉ संदीप अग्रवाल, उप निदेशक बीकानेर संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकानेर संभाग	9414401990 dr.sandeepk@gmail.com
5	डॉ एम पी सिंह, उप निदेशक कोटा संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटा संभाग	9414430590 zonekota@yahoo.com
6	डॉ वाई एस राठौर, उप निदेशक जोधपुर संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोधपुर संभाग	9413122802 jdmhjo@gmail.com
7	डॉ मंजू अग्रवाल, उप निदेशक उदयपुर संभाग	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयपुर संभाग	9413811550 manju1356@gmail.com

नोटः श्री संजय कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय भरतपुर को संयुक्त निदेशक भरतपुर जोन के अधीन इस कार्य में उनकी सहायता करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये जिलेवार समीक्षा करेंगे तथा प्रति सप्ताह कम से कम 5 राजकीय चिकित्सा संस्थानों का एवं 2 निजी संस्थानों का निरीक्षण करेंगे।
2. संभाग में योजना से संबंधित सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान यथा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल, जिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल, उप जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर सकेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश प्रदान कर सकेंगे, जिनकी क्रियान्वति सभी संबंधित को सुनिश्चत करनी होगी।
3. संभाग के समस्त निजी अस्पतालों की सूची तैयार करेंगे एवं उनमें से जो अस्पताल अभी तक योजना से संबद्ध नहीं हुये हैं उनके साथ बैठक आयोजित कर उन्हें संबद्ध होने के लिए प्रेरित करेंगे।

4. निजी अस्पतालों को सबद्ध करने के लिये आवश्यक प्रपत्रों को भरवाकर न्यू इंडिया एश्योरेस कम्पनी को भिजवाना सुनिश्चत करेंगे एवं उसकी एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करें।
5. निजी अस्पतालों को संबद्ध करने के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की निरीक्षण रिपोर्ट साथ में संलग्न किया जाना सुनिश्चत करेंगे।
6. फील्ड स्तर पर आ रही समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुये जिन समस्याओं का निराकरण संभाग/जिला स्तर पर हो सकता है उनका निस्तारण करेंगे एवं राज्य स्तर से हल होने वाली समस्याओं से सीईओ को अवगत करायेंगे।
7. योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चत करेंगे। योजना के अन्तर्गत अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थी होने की पहचान तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के परिवार की पहचान भी राशन कार्ड से की जा रही है, अतः लाभार्थी इलाज के लिए जाते समय आवश्यक रूप से राशन कार्ड साथ लेकर आये, इसका भी पर्याप्त प्रचार प्रसार सुनिश्चत करेंगे।
8. प्रत्येक निजी एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का काउंटर उपयुक्त स्थान पर (भर्ती काउंटर के साथ) सुनिश्चत करेंगे।
9. निजी अस्पताल जो योजना के अन्तर्गत संबद्ध हो गये हैं, उनका निरीक्षण कर योजना की प्रभावी क्रियान्वति सुनिश्चत करेंगे।
10. निजी अस्पताल एवं राजकीय अस्पताल योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पूर्ण रूप से निशुल्क इलाज कर रहे हैं, इसकी सुनिश्चता करेंगे एवं शिकायत पाये जाने पर शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में श्रीमती प्रियंका कपूर, कन्सलटेन्ट, आईएससी (9414063905) तथा श्री एम. पी. जैन, कन्सलटेन्ट, एनयूएचएम (9414057269) एवं ईमेल bsbyraj@gmail.com पर सम्पर्क करें।

(नवीन जैन)
मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांकः एफ 1008(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/136   दिनांक : 16/02/16

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. उप महाप्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी।
7. समस्त संयुक्त निदेशक(समस्त संभाग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. समस्त उपनिदेशक (सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना)
9. समस्त प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज।
10. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल।
12. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
13. एमपी जैन, स्टेट कन्सलटेन्ट, एनयूएचएम।
14. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी